अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 573(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (झ) के साथ पठित धारा 43 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्रतिकर का संदाय) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है ;

(ख) "कलक्टर" से उस राजस्व जिले का कलक्टर अभिप्रेत है जिसमें अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट संपत्ति स्थित है ;

(ग) " हितबद्ध व्यक्ति" के अंतर्गत किसी इकाई और खुदरा दुकानों की सुविधाओं और कारबार परिसरों के नियंत्रण और प्रबंध को ग्रहण करने या केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अभिकरण को अधिनियम के अधीन उनका प्रबंध करने के लिए सौंपने के कारण दिए जाने वाले प्रतिकर में किसी हित का दावा करने वाले सभी व्यक्ति भी हैं ;

(घ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है ।

3. प्रतिकर का अवधारण करने के सिद्धांत और तरीका - (1) जब भी किसी इकाई या खुदरा दुकानों की सुविधाओं और कारबार परिसरों का नियंत्रण और प्रबंध ग्रहण करना हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशित रीति में उसका प्रबंध करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अभिकरण को सौंपा जाना हो तब संदेय प्रतिकर की रकम का अवधारण कलक्टर द्वारा इसमें इसके पश्चात् वर्णित रीति में और सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) जहां प्रतिकर की रकम किसी करार द्वारा नियत की जा सकती है वहां उसका ऐसे करार के अनुसार संदाय किया जाएगा ;

(ख) जहां ऐसा कोई करार नहीं हो सकता वहां कलक्टर हितबद्ध व्यक्तियों से उसके समक्ष प्रत्येक शीर्ष के अधीन पृथक रूप से उसके द्वारा दावा किए गए प्रतिकर की रकम का कथन करते हुए आवेदन करने के लिए कहेगा और वह, ऐसा साक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात् जो उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए और ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे तथा विवाद के पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, संदेय प्रतिकर का अवधारण करेगा, और ऐसे प्रतिकर को उस इकाई या खुदरा दुकान में हितबद्ध व्यक्तियों के बीच विभाजित करेगा और ऐसा अवधारण कलक्टर द्वारा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संसूचित किया जाएगा जिनके हक में ऐसा अवधारण किया गया है :

परंतु कलक्टर संदेय प्रतिकर का अवधारण करने के लिए किसी विख्यात व्यक्ति से परामर्श और उसकी सलाह भी ले सकेगा ;

(ग) कलक्टर प्रतिकर अवधारण की कार्यवाहियों को हितबद्ध व्यक्तियों से उसे आवेदन की प्राप्ति के चार मास के भीतर पूरा करेगा और प्रतिकर का अवधारण करेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार, यदि ठीक समझे, प्रतिकर का अवधारण करने की अवधि को, या तो ऐसी अवधि समाप्त होने से पूर्व या उसके पश्चात् बढ़ा सकेगा ;

(घ) कलक्टर अपना लिखित आदेश पारित करेगा और उसमें अपने अवधारण के आधारों का उल्लेख करेगा तथा ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर करेगा ;

(ङ) कलक्टर उसके पश्चात् विवाद के सभी पक्षकारों को आदेश की प्रतिं प्रदान करेगा और/या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा ।

(2) संदेय प्रतिकर की रकम का अवधारण करने में विचार में लिए जाने वाले विषय,-

(क) किसी इकाई या खुदरा दुकान की सुविधाओं और कारबार परिसरों का नियंत्रण और प्रबंध ग्रहण करने या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अभिकरण को उसका प्रबंध करने के लिए सौंपने की अवधि की बाबत, उस किराए के बराबर की धनराशि का आवर्ती संदाय जो इकाई या फुटकर दुकान के उपयोग और अधिभोग के लिए उस समय संदेय होता जब उस अवधि के लिए वह पट्टे पर ली गई होती ;

(ख) पूर्व वित्तीय वर्ष में इकाई या खुदरा दुकान द्वारा किए गए फायदे और हानि ; और

(ग) ऐसी धनराशि या धनराशियां, यदि कोई हो, जो निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए हितबद्ध व्यक्ति को प्रतिकर देने के लिए आवश्यक पाई जाएं, अर्थात् :-

(i) किसी इकाई और खुदरा दुकान की सुविधाओं और कारबार परिसरों का नियंत्रण और प्रबंध लेने या उसका प्रबंध केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अभिकरण को सौंपने के कारण आर्थिक हानि ;

(ii) परिसरों को खाली करने के मद व्यय ;

(iii) परिसरों को खाली करने के पश्चात् पुनःअधिभोग में लेने के मद व्यय ।

4. कलक्टर की शक्तियां और अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया – कलक्टर ऐसे साक्षियों या अभिलेख कि समन कर सकेगा जिन्हें वह इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

5. प्रतिकर का संदाय – कलक्टर द्वारा ऐसे अवधारित प्रतिकर का संदाय ऐसी अवधि के लिए बकायों में तिमाही रूप से किया जाएगा जिसके लिए किसी इकाई या खुदरा दुकानों की सुविधाओं और कारबार परिसरों का नियंत्रण और प्रबंध ग्रहण किया गया है या उसका प्रबंध केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अभिकरण को सौंपा गया है । प्रतिकर का संदाय कलक्टर के विवेकानुसार या तो नकद किया जाएगा या चैक द्वारा किया जाएगा ।

[फा. सं. पी-23011/1/06-एमकेटी भाग (3)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2006

G.S.R. 573(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 43 read with clause (i) of Sub-section (2) of Section 60 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Payment of Compensation) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "collector" shall mean the collector of the revenue district in which the property referred to in the notification issued under sub-section (1) of section 43 of the Act is situated;

(c) "person interested" includes all persons claiming an interest in compensation to be made on account of the taking over of control and management of facilities and business premises of any entity and retail outlets or entrusting to any Agency of the Central or State Government to manage it under the Act;

(d) All other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Principles and method of determining compensation. - (1) Wherever control and management of facilities and business premises of any entity and retail outlets are to be taken over or entrusted to any Agency of the Central or State Government to manage it in the manner directed by the Central Government, the amount of compensation payable shall be determined by the Collector in the manner and in accordance with the principles hereinafter set out, that is to say-

(a) where the amount of compensation can be fixed by an agreement, it shall be paid in accordance with such agreement;

(b) where no such agreement can be reached, the collector shall ask the persons interested to make application before him stating therein the amount of compensation claimed by him under each heads separately and he shall, after receiving such evidence as may be adduced before him and after making such enquiries as he may deem fit, and after giving to the parties to the dispute a reasonable opportunity of being heard, shall determine the compensation payable, and shall also apportion such compensation among the persons interested in the entity or retail outlet and such determination shall be communicated by the collector to the person or persons in whose favour the determination has been made:

Provided that the collector may also consult any person of eminence and take their advice for determining the compensation payable;

(c) that collector shall complete the compensation determination proceedings and determine the compensation within four months of the receipt of application by him from the persons interested:

Provided that the Central Government may, if it thinks fit, extend the period for determining the compensation either before or after the expiry of such period;

(d) the collector shall pass his order in writing setting forth therein the grounds for his determination and sign such order;

(e) the collector shall thereafter deliver and / or send by registered post to all the parties to the dispute a copy of the order.

(2) The matters to be considered in determining the amount of compensation payable, -

a) a recurring payment in respect of the period of taking over control and management of facilities and business premises of any entity and retail outlet or entrusting to any Agency of the Central or State Government to manage it, of a sum equal to the rent which would have been payable for the use and occupation of the entity or retail outlet, if it had been taken on Lease for that period;

b) the profit and loss made by the entity or retail outlet in the previous financial year; and

c) such sum or sums, if any, as may be found necessary to compensate the person interested for all or any of the following matters, namely,-

i) pecuniary loss due to taking over control and management of facilities and business premises of any entity and retail outlet or entrusting to any Agency of the Central or State Government to manage it;

ii) expenses on account of vacating the premises;

iii) expenses on account of re-occupying the premises upon release.

4. **Powers of Collector and Procedure to be followed.** - The Collector may summon such witness or record as he may consider necessary for the purpose of discharging his functions under these rules.

5. **Payment of compensation.** – Compensation as determined shall be paid by the collector quarterly in arrears for the period for which control and management of facilities and business premises of any entity and retail outlets have been taken over or have been entrusted to any Agency of the Central or State Government to manage it. The compensation shall be paid either in cash or by cheque at the discretion of the collector.

[F. No. P-23011/1/06-Mkt. Part (III)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

IndiaCode